जिला पदाधिकारी, बक्सर की अध्यक्षता में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु दिनांक 10.04.2021 को आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया।

उपस्थिति–पंजी में संधारित।

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, **2015** के तहत बक्सर जिले में दिनांक **18.02.2021** तक कुल **19315** परिवाद प्राप्त हुए, जिसमें कुल **18398** परिवादों का निष्पादन किया गया तथा **917** परिवाद निवारण हेतु लंबित है। इस संबंध में आवेदन सांख्यिकी निम्नवत है:–

खण्ड–अ

कार्यालय का नाम	काउंटर पर प्राप्त	डाक द्वारा प्राप्त	दायर परिवाद की कुल संख्या	किसी अन्य PGRO से अंतरित होकर प्राप्त परिवाद की संख्या	किसी अन्य PGRO को अंतरित होकर प्राप्त परिवाद की संख्या	प्रोसेसिंग हेतु लंबित परिवाद	
						60 कार्य दिवस से कम	60 कार्य दिवस से अधिक
1	2	3	4	5	6	7	8
जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बक्सर	5231	286	5517	2533	3117	18	0
अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बक्सर	3747	327	4074	3102	693	61	0
अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, डुमरॉव	5105	186	5291	2976	406	28	0
कुल	**14083**	**799**	**14882**	**8611**	**4216**	**107**	**0**

खण्ड–ब

कार्यालय का नाम	Positive List से संबंधित परिवाद	Negative List से संबंधित परिवाद	Positive List एवं Negative List से भिन्न परिवाद	कुल परिवाद	स्वीकृत	वैकल्पिक सुझाव	अस्वीकृत	कुल परिवाद	लंबित मामले	
									60 कार्य दिवस से कम	60 कार्य दिवस से अधिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बक्सर	3961	882	212	5055	2811	1046	967	4824	228	3
अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बक्सर	5506	875	51	6432	3062	1537	1541	6140	265	27
अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, डुमरॉव	6957	841	30	7828	4512	998	1924	7434	394	0
कुल	**16424**	**2598**	**293**	**19315**	**10385**	**3581**	**4432**	**18398**	**887**	**30**

उपरवर्णित ऑकड़ों से स्पष्ट होता है कि जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बक्सर के कार्यालय में कुल **231**, अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बक्सर के कार्यालय में कुल **292** एवं अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, डुमरॉव के कार्यालय में कुल **394** मामले निवारण हेतु लंबित हैं। अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बक्सर द्वारा बताया गया कि डोंगल के एक्सपायर हो जाने के कारण परिवाद लंकित रह गया था, अब डोंगल बन गया है, शीघ्र निष्पादन कर दिया जायेगा।

इस संबंध में सभी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं संबंधित लोक प्राधिकार, जिला–बक्सर को निदेश दिया जाता है कि लंबित परिवादों का शीघ्र निष्पादन कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालनः–सभी संबंधित लोक प्राधिकार/सभी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला– बक्सर)

लोक प्राधिकार की अनुपस्थिति :–

बैठक में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, **2015** के तहत दायर परिवादों की सुनवाई में लोक प्राधिकारों की अनुपस्थिति पर चर्चा की गयी। इस संबंध में दिनांक **14.03.2021** से दिनांक **08.04.2021** तक लोक शिकायत निवारण कार्यालयवार विस्तृत विवरण निम्नवत है :–

जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय, बक्सर में लोक प्राधिकार की अनुपस्थिति :–

क्रम संख्या	लोक प्राधिकार	सुनवाई में लोक प्राधिकार की अनुपस्थिति संबंधी विवरणी		
		सुनवाईयों की संख्या, जिसमें लोक प्राधिकार अनुपस्थित रहे	कुल तिथियों में	तिथि का विवरण
1	जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर	03	01	17.03.2021
2	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस0), बक्सर	01	01	18.03.2021
कुल		04	02	

अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, बक्सर में लोक प्राधिकार की अनुपस्थिति :–

क्रम संख्या	लोक प्राधिकार	सुनवाई में लोक प्राधिकार की अनुपस्थिति संबंधी विवरणी		
		सुनवाईयों की संख्या, जिसमें लोक प्राधिकार अनुपस्थित रहे	कुल तिथियों में	तिथि का विवरण
1	पणन पदाधिकारी, बक्सर	02	01	15.03.2021
2	पणन पदाधिकारी, राजपुर	01	01	15.03.2021
3	थानाध्यक्ष, इटाढ़ी	01	01	07.04.2021
	कुल	04	03	

अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, डुमरॉव में लोक प्राधिकार की अनुपस्थिति :–

क्रम संख्या	लोक प्राधिकार	सुनवाई में लोक प्राधिकार की अनुपस्थिति संबंधी विवरणी		
		सुनवाईयों की संख्या, जिसमें लोक प्राधिकार अनुपस्थित रहे	कुल तिथियों में	तिथि का विवरण
1	पणन पदाधिकारी, डुमरॉव	01	01	19.03.2021
2	पणन पदाधिकारी, नावानगर	02	01	19.03.2021
	कुल	03	02	

उपरवर्णित ऑकड़ों से स्पष्ट होता है कि परिवादों की सुनवाई में लोक प्राधिकारों की उपस्थिति में कुछ सुधार हुआ है। फिर भी इसे बहुत संतोषजनक नहीं माना ज़ा सकता है।

जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर द्वारा बताया गया कि विभागीय बैठक में शामिल होने के कारण वे सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सके। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई०सी०डी०एस०), बक्सर द्वारा बताया गया कि वे भी बैठक में शामिल होने के कारण सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सकी।.

लोक प्राधिकार के रूप में पणन पदाधिकारियों के उपस्थित नहीं होने की प्रवृति पायी जा रही है। पणन पदाधिकारी, बक्सर/राजपुर/डुमरॉव/नावानगर परिवाद की सुनवाई में अनुपस्थित हैं। इस आलोक में पणन पदाधिकारी, बक्सर/राजपुर/डुमरॉव/नावानगर स्पष्टीकरण संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे कि किस परिस्थिति में वे संबंधित अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय में सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं हुए। अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा यदि यह पाया जाता है कि संबंधित पणन पदाधिकारी बिना किसी पर्याप्त कारण के सुनवाई में अनुपस्थित रहे हैं तो अनुमण्डल पदाधिकारी उनके विरूद्ध शास्ति अधिरोपित करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्राप्त करायेंगे।

(अनुपालनः–पणन पदाधिकारी, बक्सर/राजपुर/डुमरॉव एवं नावानगर /अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव)

थानाध्यक्ष, इटाढ़ी सुनवाई में अनुपस्थित हैं। बैठक में बताया गया कि थानाध्यक्ष, इटाढ़ी के रूप में प्रशिक्षु डी०एस०पी० वर्त्तमान में पदस्थापित है। अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बक्सर द्वारा बताया गया कि थानाध्यक्ष, इटाढ़ी द्वारा बिना किसी प्राधिकार पत्र के अपने प्रतिनिधि को सुनवाई में भेजा गया था। बैठक में यह भी संज्ञान में आया कि बक्सर जिले में विभिन्न थाना में नये थानाध्यक्षों द्वारा हाल ही में योगदान किया गया है। इस आलोक में पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), बक्सर को निदेश दिया जाता है कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, **2015** के प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत दिशानिर्देशों से सभी नवपदस्थापित थानाध्यक्षों को अवगत करायेंगे तथा उसका नियमानुसार अनुपालन करने का निदेश देंगे।

(अनुपालनः– पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), बक्सर/ सभी थानाध्यक्ष, जिला–बक्सर)

प्रधान सचिव–सह–मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी (सामान्य प्रशासन विभाग) बिहार, पटना के पत्रांक **269**, दिनांक **20.02.2018** में यह निदेश अंकित है कि परिवाद की सुनवाई में परिवाद के निवारण अथवा तात्विक प्रतिवेदन के साथ लोक प्राधिकार स्वयं सुनवाई में उपस्थित होंगे। यदि किसी अपरिहार्य कारणवश लोक प्राधिकार स्वयं उपस्थित हो पाने में असमर्थ हों तो ऐसी आकस्मिक स्थिति में वे अपने किसी अधीनस्थ पदाधिकारी, जो परिवाद की विषयवस्तु से भलीभांति अवगत हों, को सुनवाई में भाग लेने हेतु

प्राधिकृत कर सकते हैं। ऐसे प्राधिकार पत्र में अनुपस्थिति के कारण का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, लेकिन इसे **Practice** नहीं बनाया जाना चाहिए। लोक प्राधिकारों की अनुपस्थिति एवं अरूचि के प्रतिवेदित मामलों का साक्ष्य आधारित विश्लेषण कर ऐसे लोक प्राधिकारों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ करने तथा प्रायिक **(Habitiual)** अनुपस्थित रहने वाले लोक प्राधिकारो के विरूद्ध सेवा नियमों के आलोक में कठोर कार्रवाई करने का निदेश उक्त पत्र में अंकित है।

बैठक में बताया गया कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त परिवादों का निवारण ससमय निवारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं वाले सूची में शामिल है। इस आलोक में सभी लोक प्राधिकारों को कड़ी चेतावनी के साथ निदेश दिया जाता है कि परिवाद दायर होने की सूचना लोक शिकायत निवारण कार्यालय द्वारा संबंधित लोक प्राधिकार को दिये जाने के बाद लोक प्राधिकार अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई कर गुणवत्तापूर्ण एवं तथ्यपरक प्रतिवेदन के साथ संबंधित लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष सुनवाई की तिथि को स्वयं उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे ताकि परिवादों का ससमय निष्पादन हो सके। स्थापना उपसमाहर्त्ता, बक्सर को निदेश दिया जाता है कि उपरवर्णित तथ्यों के आलोक में सभी लोक प्राधिकार को पत्र के माध्यम से निदेश देने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

(अनुपालनः—स्थापना उपसमाहर्त्ता,बक्सर/सभी लोक प्राधिकार /पुलिस उपाधीक्षक (मु0), बक्सर/लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला— बक्सर)

<u>सुनवाई के विस्तारित मामले</u> :—

बैठक में बक्सर जिले में सुनवाई के विस्तारित मामलों पर चर्चा की गयी। विस्तारित मामलों से संबंधित विवरणी निम्नवत है :—

क्र0सं0	कार्यालय का नाम	दिनांक **14.03.2021** तक सुनवाई के विस्तारित मामले	दिनांक **08.04.2021** तक सुनवाई के विस्तारित मामले
1	जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बक्सर	03	02
2	अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बक्सर	05	07
3	अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, डुमरॉव	00	00
कुल		**08**	**09**

उपरवर्णित सारिणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि बक्सर जिले में लोक शिकायत निवारण कार्यालयों में दिनांक **14.03.2021** तक कुल **08** परिवादों का विस्तारण किया गया था तथा दिनांक **08.04.2021** तक कुल **09** परिवादों का विस्तारण किया गया है।

जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बक्सर द्वारा बताया गया कि उनके कार्यालय में **02** परिवादों का विस्तारण किया गया है। परिवादी श्री कन्हैया राय के परिवाद का विषय मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना मद अन्तर्गत अवशेष राशि उपलब्ध कराने से संबंधित है जिसमें प्रभारी पदाधिकारी, विकास शाखा, बक्सर द्वारा बताया गया कि इस मामले को शीघ्र निष्पादित कर दिया जायेगा। परिवादी श्री प्रमोद कुमार के परिवाद का विषय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित है जिसमें जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर के स्पष्ट प्रतिवेदन के अभाव में लंबित है। इस संबंर्ध में अपर समाहर्त्ता, बक्सर द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित मामलों में अंचल अधिकारियों द्वारा आवेदन की अस्वीकृति के बिन्दु पर अभियुक्ति कॉलम में किसी पर्याप्त कारण का उल्लेख किये बगैर ही आवेदन उन्हें अग्रसारित कर दिया जाता है, जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। इस संबंध में सभी अंचल अधिकारी, बक्सर—जिला को निदेश दिया गया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित आवेदन के अस्वीकृति हेतु पर्याप्त कारण प्रतिवेदन में उल्लेख करेंगे। इस संबंध में जिला सथापना शाखा, बक्सर को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त के आलोक में सभी अंचल अधिकारियों को निदेश देने हेतु पत्र प्रारूप के साथ संचिका उपस्थापित की जाय।

(अनुपालनः—स्थापना उप समाहर्त्ता, बक्सर/प्रभारी पदाधिकारी, विकास शाखा, बक्सर/जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर/सभी अंचल अधिकारी, बक्सर—जिला)

अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बक्सर द्वारा बताया गया कि उनके कार्यालय में **07** परिवादों का विस्तारण किया गया है तथा **20** परिवाद अंतिम आदेश पारित करने हेतु आदेश में रखा गया है। अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बक्सर को उनका शीघ्र निष्पादन करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः—अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बक्सर)

परिवादी श्री तेजप्रताप चौबे का परिवाद नल—जल योजना के तहत पंचायत सचिव एवं वार्ड सदस्य द्वारा कार्य नहीं करने से संबंधित है कि संबंधित लोक प्राधिकार प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजपुर द्वारा योजना में कमी का सुधार नहीं किया गया है। बैठक में उपस्थित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजपुर द्वारा बताया गया कि उक्त योजना की जॉच करायी जा रही है। इस संबंध में अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बक्सर द्वारा बताया गया कि ऐसे मामले में प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों द्वारा उक्त योजना की जॉच तकनीकी सहायक द्वारा ही जॉच कराकर प्रतिवेदन भेजा जाता है।

इस संबध में स्थापना उप समाहर्त्ता, बक्सर को निदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जॉच हेतु लोक शिकायत निवारण कार्यालयवार अभियंताओं का जॉच दल बनाकर प्रस्ताव समर्पित करेंगे। सभी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी उनके कार्यालय से संबद्ध जॉच दल से आवश्यकतानुसार मामलों की जॉच करा कर प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त अपेक्षित निर्णय लेंगे। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / सभी तकनीकी विभाग बक्सर—जिला जॉच दल को अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे।

(अनुपालनः—स्थापना उप समाहर्त्ता, बक्सर / सभी जिला स्तरीय विभागीय प्रधान, तकनीकी विभाग / सभी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी / सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बक्सर—जिला)

इसी प्रकार, परिवादी श्री आदर्श कुमार का परिवाद बिजली बिल में सुधार से संबंधित है जिसमें परिवादी के अनुसार थानाध्यक्ष द्वारा वाद दायर नहीं किया जा रहा है, इस आलोक में थानाध्यक्ष, बक्सर को नोटिस किया गया है। थानाध्यक्ष, बक्सर उपस्थित नहीं हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक (मु0), बक्सर को इस मामले की समीक्षा कर शीघ्र निष्पादन करवाने का निदेश दिया गया। बैठक में अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बक्सर द्वारा बताया गया कि अंचल अधिकारी, बक्सर से संबंधित **05** परिवादों का विस्तारण किया गया है, जो मुख्यतः अतिक्रमण हटाने के अनुरोध से संबंधित हैं। अंचल अधिकारी, बक्सर के अनुपस्थित रहने से उनसे संबंधित मामलों की समीक्षा नहीं हो सकी। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बक्सर द्वारा बताया गया कि अंचल अधिकारी, बक्सर की तबियत ठीक नहीं रहने के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सकीं। अंचल कार्यालय, बक्सर से संबंधित सभी विस्तारित परिवादों का शीघ्र नियमानुसार निष्पादन करने का निदेश अंचल अधिकारी, बक्सर को दिया गया।

(अनुपालनः—पुलिस उपाधीक्षक (मु0), बक्सर / अंचल अधिकारी, बक्सर / थानाध्यक्ष, बक्सर)

अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, डुमराँव में किसी भी परिवाद का विस्तारण नहीं किया गया है।

ज्ञातव्य है कि जिन परिवादों का निवारण नियत समय सीमा में हो पाना संभव नहीं हो तो बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार नियमावली के नियम **10** के आलोक में उसके कारणों को लेखबद्ध करते हुए उक्त कार्रवाई को आगे विस्तारित किये जाने का निदेश अपर मुख्य सचिव —सह— मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा पत्रांक **1925** दिनांक **10.12.2020** के माध्यम से दिया गया है।

मिशन कार्यालय के पत्रांक **269** दिनांक **20.02.2018** में यह निदेश अंकित है कि परिवादों का नियमानुसार निवारण उसकी प्रकृति एवं गभीरता के आलोक में **02** या **03** सुनवाईयों में कराया जाय तथा इसके लिये सुनवाई की तिथियों का विवेकपूर्ण निर्धारण किया जाना चाहिए ताकि परिवादियों को बार—बार नहीं आना पड़े। इससे परिवादी एवं लोक प्राधिकार के समय एवं श्रम की बचत होगी एवं आम जनता में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, **2015** के प्रति विश्वसनीयता बढ़ेगी।

(अनुपालनः— सभी संबंधित लोक प्राधिकार / लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला—बक्सर)

अपीलीय मामले :–

बैठक में इस अधिनियम के तहत दायर अपीलीय मामलों की भी समीक्षा की गयी। बक्सर जिले में अपीलीय मामलों की स्थिति निम्नवत है :–

जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय, बक्सर में दायर प्रथम अपील वाद

संबंधित लोक शिकायत निवारण कार्यालय, जिनके पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील दायर किया गया	कुल प्राप्त आवेदन	कुल निष्पादित आवेदन	कुल लंबित आवेदन
अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, बक्सर	791	760	31
अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, डुमरॉव	578	536	42
कुल	**1369**	**1296**	**73**

जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बक्सर द्वारा बताया गया कि जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय, बक्सर में दायर प्रथम अपील में **42** मामलों में अंतिम आदेश पारित करने हेतु आदेश में रखा गया है। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बक्सर के अनुसार अंचल अधिकारी, बक्सर से संबंधित **05**, अंचल अधिकारी, सिमरी से संबंधित **04**, अंचल अधिकारी ब्रह्मपुर/सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल, कोरानसराय/इटाढ़ी से संबंधित **3–3**, अपर समाहर्त्ता, बक्सर/अंचल अधिकारी, डुमरॉव से संबंधित **2–2**, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बक्सर/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बक्सर/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर/ अंचल अधिकारी, राजपुर/इटाढ़ी/केसठ तथा चौंगाई/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सिमरी/थानाध्यक्ष डुमरॉव तथा मु0 बक्सर/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी राजपुर से संबंधित **1–1** अपीलीय मामला विचाराधीन है।

सभी संबंधित लोक प्राधिकार को निदेश दिया जाता है कि लंबित अपील वादों का शीघ्र निष्पादन कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालनः–सभी संबंधित लोक प्राधिकार/लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला–बक्सर)

जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय, बक्सर में दायर प्रथम अपील वाद के विरूद्ध दायर द्वितीय अपील वाद :–

संबंधित लोक शिकायत निवारण कार्यालय	कुल प्राप्त आवेदन	कुल निष्पादित आवेदन	कुल लंबित आवेदन
अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, बक्सर	201	184	17
अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, डुमरॉव	177	167	10
कुल	**378**	**351**	**27**

उपरवर्णित ऑकड़ों से स्पष्ट होता है कि परिवादियों द्वारा बड़ी संख्या में अपील आवेदन दायर किया जाता है। अधिकांश अपील आवेदनों का अपील दायर करने का आधार लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा दिये गये आदेश का संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा समुचित अनुपालन नहीं किया जाना है जिसके कारण परिवादी द्वारा प्रथम अपील दायर किया जाता है। प्रथम अपीलीय प्राधिकार में भी पारित आदेश का अनुपालन नहीं होने पर परिवादी द्वारा द्वितीय अपील दायर किया जाता है।

बैठक में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि परिवाद की सुनवाई में कुछ लोक प्राधिकरों द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि कुछ लोक प्राधिकार बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, **2015** के अंतर्गत दायर परिवादों के निवारण के प्रति गंभीर नहीं है, लोक प्राधिकार का यह कृत्य इस अधिनियम के मूल उद्देश्य तथा उनके पदीय गरिमा के प्रतिकूल है।

सभी लोक प्राधिकार को निदेश दिया जाता है कि इस अधिनियम के तहत प्राप्त परिवादों के निवारण के प्रति गंभीरता का परिचय देते हुए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के स्तर पर ही परिवाद का नियमानुसार वास्तविक निवारण कराना सुनिश्चित किया जाय ताकि अपीलीय मामलों की संख्या कम–से–कम रहे। इस हेतु सभी संबंधित लोक प्राधिकार परिवाद के निवारण के बिन्दु पर ससमय गुणवत्तापूर्ण एवं तथ्यात्मक प्रतिवेदन समर्पित करेंगे तथा लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी गुणवत्तापूर्ण आदेश पारित करेंगे।

(अनुपालनः–सभी संबंधित लोक प्राधिकार/जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला–बक्सर)

<u>अधिरोपित दण्ड एवं शास्ति के संबंध में :–</u>

बैठक में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत प्राप्त परिवादों के निवारण में सुनवाई में अनुपस्थित रहने/परिवाद के निवारण में शिथिलता या असहयोग बरतने के आलोक में 36 लोक प्राधिकारों/कर्मियों के विरूद्ध अबतक कुल रू0 1,25,000/– (एक लाख पच्चीस हजार) मात्र की शास्ति अधिरोपित की गयी है, जिसमें उनके द्वारा कुल रू0 1,22,000/– (एक लाख बाईस हजार) मात्र की राशि जमा की गयी है। साथ ही, श्री राजशेखर, अंचल अधिकारी, केसठ एवं श्री सुनील कुमार निर्झर, थानाध्यक्ष, राजपुर के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के तहत आरोप पत्र गठित कर विभाग को भेजा गया है।

पु0अ0नि0 श्री आलोक कुमार, थानाध्यक्ष इटाढ़ी द्वारा शास्ति की राशि जमा कर दी गयी है।

श्री नीरज कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, चक्की द्वारा रू0 3000/– शास्ति की राशि जमा नहीं की गई है। पूर्व में बैठक में श्री नीरज कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, चक्की द्वारा शास्ति की राशि जमा की गयी है या नहीं, इस संबंध में अंचल अधिकारी, चक्की को अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, जिसका अनुपालन उनके द्वारा अबतक नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, चक्की को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त के आलोक में अद्यतन प्रतिवेदन 07 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालनः– अंचल अधिकारी, चक्की)

<u>थानाध्यक्ष एवं अंचलाधिकारी का संयुक्त शनिवारीय बैठक की कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन की वेबसाइट पर अपलोड करने संबंधी विवरणी :–</u>

बैठक में प्रत्येक शनिवार को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत भूमि विवाद एवं पुलिस से संबंधित दायर परिवादों के निवारण के संबंध में अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से समीक्षा करने के उपरान्त लोक शिकायत निवारण को वेब पोर्टल पर कार्यवाही के अपलोड करने की कार्रवाई समीक्षा की गयी। इस संबंध में पोर्टल पर अपलोड प्रतिवेदन की स्थिति निम्नवत है :–

क्र0 सं0	अनुमण्डल का नाम	अंचल का नाम	अंतिम प्रतिवेदन, जो वेबसाईट पर अपलोड किया गया है
1	बक्सर	अंचल कार्यालय, बक्सर	03.04.2021
2		अंचल कार्यालय, चौसा	03.04.2021
3		अंचल कार्यालय, इटाढ़ी	03.04.2021
4		अंचल कार्यालय, राजपुर	03.04.2021
5	डुमरॉव	अंचल कार्यालय, डुमराँव	03.04.2021
6		अंचल कार्यालय, सिमरी	03.04.2021
7		अंचल कार्यालय, ब्रह्मपुर	03.04.2021
8		अंचल कार्यालय, नावानगर	03.04.2021
9		अंचल कार्यालय, केसठ	03.04.2021
10		अंचल कार्यालय, चक्की	03.04.2021
11		अंचल कार्यालय, चौगाई	03.04.2021

उपरवर्णित ऑकड़ों से स्पष्ट होता है कि अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष के द्वारा प्रत्येक शनिवार को इस अधिनियम के तहत प्राप्त परिवादों एवं भूमि विवाद के निवारण हेतु संयुक्त बैठक कर प्रतिवेदन पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।

सभी अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष, जिला–बक्सर को निदेश दिया गया कि इस अधिनियम के तहत प्राप्त परिवादों एवं भूमि विवाद से संबंधित मामलों के निवारण हेतु प्रत्येक शनिवार को संयुक्त बैठक कर समीक्षा करेंगे तथा समीक्षोपरान्त परिवाद के निवारण हेतु नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई करेंगे। संयुक्त समीक्षोपरान्त प्रतिवेदन उसी दिन या उसके अगले कार्यदिवस को लोक शिकायत निवारण के वेब पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालनः– सभी अंचल अधिकारी/सभी थानाध्यक्ष, जिला–बक्सर)

अंत में, सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0	ह0
पुलिस अधीक्षक, बक्सर	जिला पदाधिकारी, बक्सर

ज्ञापांक 01-0857 /स्था0, बक्सर दिनांक 27 / 04 /2021

प्रतिलिपि :– सभी लोक प्राधिकार, जिला–बक्सर
प्रतिलिपि :– आई0टी0 प्रबंधक, बक्सर
प्रतिलिपि :– पणन पदाधिकारी, बक्सर/राजपुर/डुमरॉव/नावानगर
प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, चक्की
प्रतिलिपिः– सभी अंचल अधिकारी (चक्की को छोड़ कर)/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी थानाध्यक्ष/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला–बक्सर
प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, विकास शाखा, बक्सर/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बक्सर/कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, बक्सर/जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर/सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल, कोरानसराय एवं इटाढ़ी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी राजपुर
प्रतिलिपि :– परिचारी प्रवर, पुलिस लाईन, बक्सर
प्रतिलिपिः– अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर/डुमरॉव एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बक्सर/डुमरॉव
प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, बक्सर जिला
प्रतिलिपि :– सभी जिलास्तरीय विभागीय प्रधान, तकनीकी विभाग, बक्सर जिला
प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, बक्सर
प्रतिलिपिः– अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बक्सर/अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, डुमरॉव
प्रतिलिपि :– विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, बक्सर/पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), बक्सर
प्रतिलिपि :– जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बक्सर
प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, बक्सर/अपर समाहर्त्ता, बक्सर को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 27/4/21	(हस्ताक्षर) 27/4/2021
पुलिस अधीक्षक, बक्सर	जिला पदाधिकारी, बक्सर